रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 1975/चैत्र 11, 1897
No. 87] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 1975/CHAITRA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April 1975

G.S.R. 184(E).—Whereas the draft of certain rules which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by section 18 of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) were published as required by sub-section (1) of that section at pages 233 to 241 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 12th February, 1975 under the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. G.S.R. 46(E), dated the 12th February, 1975 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of thirty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 12th February, 1975;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft have been considered by the Government:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Coal Mines (Conservation and Development) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, under the context otherwise requires.—

(a) "Account" means the "Coal Mines Conservation and Development Account" opened under Section 10 of the Act;

(b) "Act" means the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (No. 28 of 1974);

(c) "Advisory Committee" means the Coal Conservation and Development Advisory Committee constituted under rule 10;

(d) "Coal Controller" means the person appointed as the Coal Controller by the Government of India;

(e) "Form" means a form appended to these Rules;

(f) "Section" means a section of the Act;

(g) "Treasury" means any Government treasury or sub-treasury.

CHAPTER II

MEASURES FOR CONSERVATION AND DEVELOPMENT OF COAL MINES

3. **Stowing for conservation.**—For the purpose of conservation of coal the Central Government may under section 4 issue or cause to be issued an order in writing requiring the owner, agent or manager of any coal mine to undertake stowing in such manner and within such period as may be specified in the order.

4. **Contravention of directions.**—Any order issued under section 4 or sub-section (3) of section 11 shall be complied with by the owner, agent or manager of the coal mine concerned within the period specified therein and failure to do so shall be demed to be a contravention of these Rules.

5. **Washing of coal and other steps for conservation.**—For the purpose of conservation of coal under section 4 the Central Government may, by order in writing—

(i) require the owner, agent or manager of any coal mine to undertake washing of coal in such manner and within such period as may be specified in the order;

(ii) restrict the supply of coal of any grade or grades or qualities to specified consumers in accordance with any policy of coal conservation as may be determined by it from time to time;

(iii) require the owner of any steel works, blast furnace or coke over, using coking coal to undertake blending of coal for conservation of coal in accordance with such procedure as may be determined by it from time to time;

(iv) issue such directions as it deems fit for ensuring economy in the use of coal and, for the purpose of verifying whether such directions have been or are being complied with, call for such information and returns from consumers as it considers necessary and arrange for the inspection of stocks of coal and coke held by consumers.

6. **Power of the Central Government to recover cost.**—(1) The Central Government may recover from the owner, agent or manager of a coal mine either wholly or partly the cost of such measures or operations as are undertaken by it under section 4, if it satisfied on consideration of all facts and circumstances that such recovery of cost is justified.

(2) The Central Government may permit the owner to meet either wholly or partly the expenditure on account of recovery of the cost mentioned in sub-rule (1) from out of the moneys at the credit of the Account.

7. **Supply of information.**—Every owner, agent or manager shall furnish to the Coal Controller such information regarding production and despatch of coal from his mine or mines and working conditions in his mine or mines as may be specified by the Coal Controller. He shall also furnish to the Coal Controller such other information regarding opening, re-opening and closure of mines as may be required by the Coal Controller.

CHAPTER III

COLLECTION OF EXCISE DUTY

8. Collection and assessment of excise duty.—(1) The duties of excise levied under section 6 shall be shown separately by the owner, agent or manager of a coal mine in the bill prepared for the sale of coal and coke.

(2) When raw coal is despatched from the mine for coke making to a coke plant or, as the case may be, for beneficiation to a coal washery under the same ownership as the coal mine, the duties of excise shall not be collected on raw coal despatched from the mine but on the final product of the coke plant or coal washery, that is on hard coke, soft coke, washed coal, middlings, rejects or other final product.

(3) When raw coal is despatched from a mine for coke making to a coke plant or, as the case may be, for beneficiation to a coal washery, which is not under the same ownership as the coal mine, the duties of excise shall be collected by the owner, agent or manager of the coal mine on the raw coal despatched and not on the final product of the coke plant or coal washery.

(4) Every owner, agent or manager of a coal mine shall maintain a register in Form 'A' showing the quantities of coal or coke actually despatched during a month, particulars of the parties to whom these were despatched and the prices charged therefor, and the amount of excise duty payable during a month at the rates fixed under section 6 shall be calculated and recorded in the register before the last day of the month following the month during which the despatches were effected.

(5) Every owner shall be deemed to have been provisionally assessed to an amount calculated and recorded under sub-rule (4) as payable during a month and he shall pay the same into the treasury, the remittance being creditable to the Central Government in a special account. The payment shall be made within a period of ninety days from the close of the month during which despatches were effected.

(6) The payment under sub-rule (5) shall be made by means of a challan. The treasury shall return one copy of the challan to the depositor who shall transmit this copy under sub-rule (7) to the Coal Controller.

(7) As soon as may be after the date of the payment of the duties of excise in the manner provided in sub-rule (6) and in any case not later than thirty days from the date of such payment, every owner of a coal mine shall submit to the Coal Controller a return in Form 'B' showing the quantities of coal or coke despatched during the month in respect of which the payment has been made, the amount paid under sub-rule (6) and other particulars specified in that Form. The return shall be accompanied by the copy of the challan returned under sub-rule (6) by the treasury.

(8) The final assessment of the duties of excise due from the owner of a coal mine shall be made by the Coal Controller after examination of the said return and other relevant documents, if any. For the purpose of final assessment under this sub-rule, the Coal Controller may depute a duly authorised officer to inspect and examine the account books and other records maintained at the premises of a coal mine and may by notice require, the owner to produce either personally or by his authorised representative the said records before the authorised officer at the time and place specified in the notice.

(9) If the owner has paid the duties of excise provisionally assessed under sub-rule (5) and has submitted the monthly return under sub-rule (7), the Coal Controller shall either confirm that the amount of duty provisionally assessed under sub-rule (5) is final and send an intimation to that effect to the owner or assess the additional amount found due and issue a notice calling upon the owner to pay into the treasury by a specified date the additional amount so found due in the manner prescribed in sub-rule (6) or if the amount paid under sub-rule (5) is found to be in excess of the amount due refund the excess so paid to the owner.

(10) If the owner has not made any payment under sub-rule (5), and has not submitted the monthly return under sub-rule (7), the Coal Controller shall, after giving the owner a reasonable opportunity of being heard, assess him to such an amount of duties of excise as in his opinion is fit and proper and issue a notice calling upon him to pay the full amount into the treasury, by a specified date, in the manner prescribed in sub-rule (6).

(11) Any dues of excise duty remaining unpaid after the date specified by the Coal Controller shall be recovered from the owner of the coal mine as an arrear of land revenue and shall be credited to the Central Government.

(12) In calculating the amount of duties of excise payable on any one consignment any paisa shall be rounded off to the nearest five paise or multiple of five paise and the actual weight of a consignment shall be rounded off to the nearest tonne.

9. **Review of assessment of excise duty.**—(1) Any owner of a coal mine, aggrieved by an order of final assessment under sub-rule (8) of rule 8 may submit an application to the Coal Controller for the review of the order of final assessment within thirty days of the receipt of notice of such assessment.

Provided that no such application shall be entertained unless the amount assessed has already been paid in the manner specified in sub-rule (6) of that rule.

(2) After examination of the records relating to the assessment and after hearing the owner, if such owner requests for such hearing,—

(a) if the Coal Controller is satisfied that the excise duty assessed and paid by the owner is in excess of the amount due, he shall order refund to the owner of such amount as may have been paid in excess; or

(b) if, on the other hand, the Coal Controller is satisfied that the assessment has been made correctly he shall confirm his order of assessment.

CHAPTER IV

COAL CONSERVATION AND DEVELOPMENT ADVISORY COMMITTEE

10. **Composition and functions of the Advisory Committee.**—(1) For the purpose of determining the procedure for the disbursement of the net proceeds under section 9 and the manner in which, and the conditions subject to which, sums at the credit of the Coal Mine Conservation and Development Account may be applied, the Central Government may constitute an Advisory Committee, to be called the "Coal Conservation and Development Advisory Committee" to advise that Government.

(2) The Advisory Committee shall consist of the following members, namely:—

(i) Joint Secretary, Ministry of Energy (Department of Coal), ex-officio, who shall be the Chairman;

(ii) Financial Adviser and Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure), ex officio;

(iii) Three representatives of coal producing organisations to be nominated by the Central Government;

(iv) Managing Director, Central Mine Planning and Design Institute, Coal Mines Authority Limited, ex-officio;

(v) Director General, Mines Safety, Ministry of Labour, ex-officio;

(vi) Director, Central Fuel Research Institute, Dhanbad, ex-officio;

(vii) Director, Central Mining Research Station, Dhanbad, ex-officio;

(viii) Coal Controller, Ministry of Energy (Department of Coal), ex-officio;

(ix) Director or, as the case may be Deputy Secretary, Ministry of Energy (Department of Coal), ex-officio, who shall be the member-secretary.

(3) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-rule (1), the functions of the Advisory Committee shall be—

(a) to advise the Central Government regarding the formulation and implementation of a national policy in relation to the conservation, development and scientific utilisation of the coal reserves of the country keeping in view the recommendations that may be made in this regard by the Central Mine Planning and Design Institute, Coal Mines Authority Limited;

(b) to recommend measures which should be taken for—

(i) ensuring the conservation of the coal resources;

(ii) undertaking the development of the coal mines in a scientific manner;

(iii) undertaking rsearch in relation to conservation of coal, development of coal mines and utilisation of coal

(iv) improving transportation by various means and distribution of coal, and

(v) better utilisation of coal;

(c) to recommend the classes, grades or sizes into which coal or coke may be categorised;

(d) to recommend the rates at which duties of excise may be imposed on coal or coke;

(e) to advise the Central Government on the disbursement of net proceeds of duties of excise and customs levied and collected under section 6 and 7 respectively, as also the net proceeds of the duties of excise collected under section 8 of the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 and remaining undisbursed to the owners, agents or managers of coal mines or to any other person for all or any of the purposes mentioned in section 9;

(f) to advise the Central Government on the manner in which and the conditions subject to which financial assistance might be granted under the Act;

(g) to advise the Central Government regarding the procedure that should be adopted for carrying out examinations, inquiries and inspections in order to ascertain whether the financial assistance granted under the Act is being or has been utilised for the purposes for which it was sanctioned, as also to ascertain whether the provisions of the Act or rules and orders made thereunder are being complied with;

(h) to recommend to the Central Government the action that should be taken against those who make any default in complying with the provisions of the Act, or of the rules and orders made thereunder, as also in implementing the schemes and measures for conservation and development sanctioned under the Act.

(4) The Advisory Committee shall meet when required by the Central Government to do so and shall have the power to regulate its own procedure.

(5) The non-constitution of the Advisory Committee or the existence of any vacancy therein shall not render invalid the disbursement of any amounts under section 9 or any application of sums out of the sums standing to the credit of the Coal Mine Conservation and Development Account.

CHAPTER V

GRANT OF ASSISTANCE

11. **Determination of net proceeds of the duties of excise.**—For the purpose of section 9, the net proceeds of the duties of excise and customs levied and collected under sections 6 and 7 respectively, in a financial year, shall be determined after taking into account the total amount of the duties collected, the refunds granted, the amounts written off and the deduction towards the cost of collecion of such duties as fixed by the Central Government.

12. **Purposes for which net proceeds of the duties may be disbursed.**—For carrying out the purposes specified in section 9, the Central Government may, having regard to the recommendations of the Advisory Committee make disbursements to the owners, agents or managers of coal mines or to any other person from out of the amounts lying in credit with the Government on account of duties of excise and customs collected under the Act, and the said purposes may include one or more of the following, namely:—

(1) Conservation and safety—

(i) Stowing operations.

(ii) Protective works, including—

(a) blanketing with incombustible materials;

(b) filling up of a subsidence,

(c) cutting of trenches;

(d) construction of dams;

(e) artificial barriers.

(iii) Special mining techniques obviating sand stowing.

(iv) Surface protection measures including vacation of buildings and structures over areas of subsidence.

(v) Installation of stowing plants, blending plants and plants for the beneficiation of coal.

(vi) Schemes for recovery and transportation of sand.

(2) Scientific Development of Coal Mines:—

(i) Development of new coal mining methods, development and utilisation of explosives.

(ii) Improvements in exploration, and drilling techniques.

(iii) Techno-economic studies of various underground and surface transport systems in mines.

(iv) Investigations into problems of rock burst in deep mines.

(v) Investigations into roof bolting under different mining conditions.

(vi) Development of standardised designs for coal mines and mining machinery.

(vii) Development of television and other electronic aids for application in mining.

(3) Establishment and organisation of Central Mine Planning and Design Institute.

(4) Utilisation of Coal.

(i) Low Temperature Carbonisation projects,

(ii) Formed coke projects.

(iii) Coal Gasification projects.

(iv) Project for conversion of coal into oil and chemicals.

(5) Research and Development.

(i) Transportation of coal and sand through pipelines.

(ii) Other modes of transport, including inland waterways.

(iii) Investigations into suitability of waste materials for stowing in mines.

(iv) Investigations into problems of mines fires and efficacy of different methods of dealing with them.

(v) Assessment of ventilation and other environmental conditions in mines and development of standards.

(vi) Problems relating to Methane emission and drainage from highly gassy coal seams.

(vii) Development of instruments for measuring and recording mine gases.

(viii) Research on surface pollution and environmental control in mining areas.

(6) Meeting the expenses in connection with the work of Advisory Committee.

13. **Application for assistance.**—Every owner, agent, or manager of a coal mine or group of coal mines or any other person desirous of obtaining financial assistance, under the Act, shall submit his proposals to the Central Government.

14. **Quantum of assistance.**—Assistance shall be granted by the Central Government with due regard to the circumstances of each case.

15. **Acceptance of conditions attaching to the grant of assistance.**—Before granting assistance under these rules, the Central Government may specify the conditions to be fulfilled by the owner, agent or manager of a coal mine or any other person to whom assistance is proposed to be granted, and secure the acceptance in writing by such owner, agent or manager of the coal mine or other person of such conditions.

16. **Maintenance of accounts.**—(1) The owner, agent or manager of a coal mine or group of coal mines or any other person to whom any money is disbursed under section 9 shall maintain or cause to be maintained a Statement of Receipts and Payments in respect of the Account.

(2) Such Statement shall be examined and audited as provided in sub-section (3) of section 10.

17. **Submission of Annual Reports.**—Every person to whom the money has been disbursed under section 9 shall submit to the Central Government by 30th September in each year an Annual Report regarding the utilisation of the assistance received by him during the previous financial year along with a copy of the Statement of Receipts and Payments, together with the Auditor's Report in respect of the Account and the Statement of Receipts and Payments.

18. **Duties regarding information and inspection.**—(1) Every owner, agent or manager of a coal mines or any other person who has obtained financial assistance under the Act shall on request promptly furnish to the Central Government, the Coal Controller or any other person duly authorised by the Central Government such information, plans and drawings, as may be required by the Central Government, for any purpose in furtherance of the objects of the Act.

(2) Every owner, agent or manager of a coal mine or any other person who has obtained assistance under the Act shall afford the Chairman and the Members of the Advisory Committee, the Coal Controller or any other person duly authorised by the Central Government in this behalf all reasonable facilities for inspection of the coal mine and the records in relation to the utilisation of the assistance as may be necessary for carrying out the objects of the Act.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

19. **Penalty for contraventions.**—Any contravention of these rules shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

20. **Repeal.**—The Coal Mines (Conservation and Safety) Rules, 1954 are hereby repealed.

FORM 'A'

[*See* rule 8 (4)]

Form of register showing coal and coke despatched, price charged and excise duty.

Name of Coal Mine Owner

Full Address Month Year

Name of consignee	Destination	Date of despatch	Grade and size of coal	Quantity despatched and pit head price	Rate of excise duty per tonne	Amount of excise duty collected	Date of remittance into treasury	Treasury into which paid and Challan No.

Station :

Date :

Signature and seal of Owner/Agent/Manager.

FORM 'B'

[*See* rule 8 (7)]

Form of return of duties of excise realised on despatches of coal and coke

Name of Coal Mine Owner

Full Address Month Year

Quantity of Coal/ Coke despatched during the month			Pit head price per tonne	Total price chargeable	Rate of excise duty per tonne.	Total excise duty payable.	Excise duty actually realised.	Amount paid into treasury.	Remarks
Grade	Size	Quantity							

Certified that the above statements are true to the best of my knowledge and belief and are based on records maintained in my coal mine.

Station :

Date :

Signature and Seal of Owner/Agent/Manager.

[No. 55019/8/75-CPC]

S. B. LAL, Jt. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रेल, 1975

जी० एस० आर० 164(अ).—यत : कतिपय नियमों के प्रारुप, जिन्हें बनाने की कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावना की थी, कथित धारा की उपधारा (1) के अनुसार ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) में भारत सरकार को दिनांक 12 फरवरी, 1975 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 46(ई०) के अन्तर्गत भारत के असाधारण राजपत्र, भाग ii, खण्ड 3, उपखण्ड (i), दिनांक 12 फरवरी, 1975 के पृष्ठ 233 से 241 तक प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा कथित अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उन सभी व्यक्तियों की आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी;

और यत: कथित राजपत्र जनता को 12 फरवरी, 1975 को उपलब्ध हुआ;

और यत: कथित प्रारूप के बारे में प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया;

अब, इसलिए, कथित अधिनियम की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन.**—(1) इन नियमों का नाम कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "खाता" से अधिनियम की धारा 10 के अधीन खोला गया "कोयला खान संरक्षण और विकास खाता" अभिप्रेत है;

(ख) "अधिनियम" से कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) अभिप्रेत है;

(ग) "सलाहकार समिति" से नियम 10 के अधीन गठित कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(घ) "कोयला नियंत्रक" से भारत सरकार द्वारा कोयला नियंत्रक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रारूप" से इन नियमो से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(छ) "खजाना" से कोई भी सरकारी खजाना या उपखजाना अभिप्रेत है ।

अध्याय–2

कोयला खानों के संरक्षण और विकास के लिए उपाय

3. **संरक्षण के लिए भरण.**––कोयले के संरक्षण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार धारा 4 के अधीन लिखित रूप में आदेश जारी कर सकेगी या जारी करा सकेगी जिसमें किसी कोयला खान के स्वामी, अभिकर्त्ता या प्रबन्धक से ऐसी रीति मे और इतनी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, भरण का कार्य करने की अपेक्षा की जायेगी ।

4. **निदेशों का उल्लंघन.**––अधिनियम की धारा 4 या धारा 11 की उप–धारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश का संबंधित कोयला खान के स्वामी, अभिकर्त्ता या प्रबन्धक द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन किया जायेगा और ऐसा करने में व्यतिक्रम इन नियमों का उल्लंघन समझा जायगा ।

5. **संरक्षण के लिए कोयले और अन्य निक्षेपन का धावन.**––धारा 4 के अधीन कोयला के संरक्षण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार लिखित रूप में आदेश द्वारा––

(1) किसी कोयला खान के स्वामी, अभिकर्त्ता या प्रबन्धक से ऐसी रीति में और इतनी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, धावन का कार्य करने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(2) कोयला संरक्षण की किसी नीति के अनुसार, जो उसके द्वारा समय-समय पर अव–धारित की जाए, किसी श्रेणी या किन्हीं श्रेणियों या क्वालिटियों के कोयले का विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओ के लिए प्रदाय निबंधित कर सकेगी;

(3) कोककारी कोयले का उपयोग करने वाले किसी इस्पात सकम धमन भट्टी या कोक भट्टी के स्वामी से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो उसके द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, कोयले के संरक्षण के लिए कोयले का सम्मिश्रण करने की अपेक्षा कर सकेगी;

(4) कोयले के उपयोग में किफायत सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिन्हें वह उचित समझे और यह सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए कि ऐसे निदेशो का अनुपालन किया गया है या नही या उनका अनुपालन किया जा रहा है या नही, उपभोक्ताओं से ऐसी जानकारी और विवरणियां मंगा सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और वह उपभोक्ताओं द्वारा धारित कोयले और कोक के स्टाकों के निरीक्षण की व्यवस्था कर सकेगी ।

6. लागत वसूल करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति.—(1) केन्द्रीय सरकार कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक से ऐसे उपायों या संक्रियाओं की, जो उसके द्वारा धारा 4 के अधीन की जाएं, लागत पूर्णतः या भागतः वसूल कर सकेगी, यदि सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात उसका वह समाधान हो जाए कि लागत की ऐसी वसूली न्यायोचित है ।

(2) केन्द्रीय सरकार स्वामी को खाते में जमा धन में से उप-नियम (1) में वर्णित लागत की वसूली मद्धे व्यय की पूर्णतः या भागतः पूर्ति के लिए अनुज्ञात कर सकेगी ।

7. जानकारी का दिया जाना : प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक कोयला नियंत्रक को अपनी खान या खानों से कोयले के उत्पादन और प्रेषण और अपनी खान या खानों में कार्य दशाओं के संबंध में ऐसी जानकारी देगा, जो कोयला नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । वह कोयला नियंत्रक को खानों के खोले जाने, पुनः खोले जाने और बंद किए जाने के संबंध में ऐसी अन्य जानकारी भी देगा, जिसकी कोयला नियंत्रक द्वारा अपेक्षा की जाए ।

अध्याय—3

उत्पाद-शुल्क का संग्रहण

8. उत्पाद-शुल्क का संग्रहण और निर्धारण.—(1) धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत उत्पाद-शुल्क कोयले और कोक के विक्रय के लिए तैयार किए गए बिल में कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा पृथक् रूप से दर्शाए जायेंगे ।

(2) जब कच्चा कोयला खान से, यथास्थिति, कोक बनाने के लिए कोक संयंत्र को, या उसी स्वामित्व के अधीन कोयला धावनी को परिष्करण के लिए प्रेषित किया जाए, तो खान से प्रेषित कच्चे कोयले पर उत्पाद-शुल्क संग्रहीत नहीं किए जाएंगे, बल्कि कोक संयंत्र या कोक धावनी के अंतिम उत्पाद अर्थात हार्ड कोक, साफ्ट कोक, धावित कोयला, मिडलिंग, रिजेक्ट, अथवा अन्य अन्तिम उत्पाद पर संग्रहीत किए जायेंगे ।

(3) जब कच्चा कोयला खान से, यथास्थिति, कोक बनाने के लिए कोक संयंत्र को या परिष्करण के लिए कोयला धावनी को जो उसी स्वामित्व के अधीन नहीं है जिसके अधीन कोयला खान है प्रेषित किया जाए तो उत्पादन शुल्क कोयला खान के स्वामी, अभिकर्त्ता या प्रबन्धक द्वारा प्रेषित कच्चे कोयले पर संग्रहीत किए जायेंगे, न कि कोक संयंत्र या कोयला धावनी के अंतिम उत्पाद पर।

(4) कोयला खान का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक प्रारूप 'क' में एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें मास के दौरान वास्तव में प्रेषित कोयले या कोक की मात्राएं, उन पक्षकारों की विशिष्टियां, जिन को ये प्रेषित किए गए हों और उन के लिए प्रभारित कीमतें दर्शायी जायेंगी, तथा धारा 6 के अधीन नियतदरों पर मास के दौरान संदेय उत्पादन-शुल्क की रकम उस मास के, जिसके दौरान प्रेषण किए गए थे, पश्चात्वर्ती मास के अंतिम दिन से पूर्व, संगणित और रजिस्टर में अभिलिखित की जायेगी ।

(5) प्रत्येक स्वामी के बारे में यह समझा जायगा कि उसका किसी मास के दौरान संदेय रूप में, उप-नियम (4) के अधीन संगणित और अभिलिखित रकम से अनन्तिम रूप से निर्धारण किया गया है और वह उसका खजाने में संदाय करेगा; विप्रेषण एक विशेष खाते में केन्द्रीय सरकार

के प्रति निक्षिप्त किया जायेगा । संदाय उस मास की, जिसके दौरान प्रेषण किए गए थे, समाप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(6) उप-नियम (5) के अधीन संदाय चालान के माध्यम से किया जाएगा । खजाना चालान की एक प्रति निक्षेप कर्ता को वापस कर देगा जो, उस प्रति को उप-नियम (7) के अधीन कोयला नियंत्रक को भेजेगा ।

(7) उप-नियम (6) में उपबन्धित रीति से उत्पाद-शुल्क के संदाय की तारीख के पश्चात यथा शक्य शीघ्र, तथा किसी भी दशा में ऐसे संदाय की तारीख से तीस दिन के भीतर ही, न कि उसके पश्चात, कोयला खान का प्रत्येक स्वामी कोयला नियंत्रक को प्रारूप 'ख' में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस मास के दौरान, जिसके संबंध में संदाय किया गया है, प्रेषित कोयले या कोक की मात्राएं, उप नियम (6) के अधीन संदत्त रकम और उस प्रारूप में विनिर्दिष्ट अन्य विशिष्टियां दर्शित की जायेंगी । विवरणी के साथ, खजाने द्वारा उप-नियम (6) के अधीन वापस की गई चालान की प्रति भी भेजी जायगी ।

(8) कोयला खान के स्वामी द्वारा शोध्य उत्पाद शुल्क का अंतिम निर्धारण कोयला नियंत्रक द्वारा उक्त विवरणी तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों को, यदि कोई हों, परीक्षा करने के पश्चात किया जाएगा । इस उपनियम के अधीन अंतिम निर्धारण के प्रयोजन के लिए, कोयला नियंत्रक किसी सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी को, कोयला खान के परिसर पर रखी गई लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण और परीक्षा करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा और सूचना द्वारा, स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह या तो स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त अभिलेख सूचना में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे ।

(9) यदि स्वामी ने उप नियम (5) के अधीन अन्तिम रूप से निर्धारित उत्पाद-शुल्क का संदाय कर दिया है और उप नियम (7) के अधीन मासिक विवरणी प्रस्तुत कर दी है, तो कोयला नियंत्रक या तो इस बात की पुष्टि करेगा कि उप नियम (5) के अधीन अनन्तिम रूप से निर्धारित उत्पाद-शुल्क अंतिम है और स्वामी को उस आशय का प्रज्ञापन भेजेगा, या वह देय पाई गई अतिरिक्त रकम का निर्धारण करेगा और ऐसी सूचना जारी करेगा, जिसमें स्वामी से उप नियम (6) मे विहित रीति में, इस प्रकार देय पाई गई अतिरिक्त रकम का, विनिर्दिष्ट तारीख तक खजाने में संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी अथवा/तथा यदि उपनियम (5) के अधीन संदत्त रकम, देय पाई गई रकम से अधिक पायी जाती है तो इस प्रकार संदत्त की गई अधिक रकम स्वामी को वापस कर दी जाएगी ।

(10) यदि स्वामी ने उप नियम (5) के अधीन संदाय नहीं किया है और उप नियम (7) के अधीन मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, तो कोयला नियंत्रक, स्वामी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात उत्पाद-शुल्क की ऐसी रकम से उसका निर्धारण करेगा, जो उसकी राय में ठीक और उचित हो और एक सूचना जारी करेगा, जिसमें उससे उपनियम (6) में विहित रीति में, विनिर्दिष्ट तारीख तक खजाने में पूरी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(11) कोयला नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् असंदत्त रहने वाले उत्पाद-शुल्क के किन्हीं भी शोध्यों की वसूली, कोलियारी के स्वामी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी और वे केन्द्रीय सरकार के नाम में जमा किए जाएंगे ।

(12) किसी एक प्रेषण पर संदेय उत्पाद शुल्क की रकम संगणित करने में किसी भी पैसे को निकटतम पांच पैसे या पांच पैसे के गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा और प्रेषण का वास्तविक भार निकटतम मीटरी टन तक पूर्णांकित किया जाएगा ।

9—**उत्पाद-शुल्क के निर्धारण का पुनर्विलोकन** : (1) नियम 8 के उप नियम (8) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश से व्यथित, कोयला खान का कोई स्वामी कोयला नियंत्रक को, अन्तिम निर्धारण के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए, ऐसे निर्धारण की सूचना की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर आवेदन दे सकेगा,

परन्तु ऐसा कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारित रकम, उस नियम के उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट रीति में पहले सदत्त न कर दी गई हो ।

(2) निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की परीक्षा के पश्चात् और यदि स्वामी सुनवाई के लिए अनुरोध करता है तो स्वामी को ऐसी सुनवाई करने के पश्चात्,

(क) यदि कोयला नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि निर्धारित और स्वामी द्वारा सदत्त उत्पाद-शुल्क शोध्य रकम से अधिक है, तो वह स्वामी को ऐसी रकम के प्रतिदाय का आदेश देगा, जो अतिरिक्त सदत्त की गई हो , या

(ख) यदि इसके बजाए, कोयला नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि निर्धारण सही किया गया है तो वह निर्धारण के अपने आदेश की पुष्टि करेगा ।

अध्याय—4

कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति

10—**सलाहकार समिति की संरचना और कृत्य.**—(1) धारा 9 के अधीन शुल्क आगमों के संवितरण के लिए प्रक्रिया और वह रीति जिसमें, और वे शर्तें जिनके अधीन कोयला खान संरक्षण और विकास खाते में जमा राशियां उपयोजित की जा सकेंगी, अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार एक सलाहकार समिति गठित करेगी जो "कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति" कहलाएगी और जो उस सरकार को सलाह दिया करेगी ।

(2) सलाहकार समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिल कर बनेगी, अर्थात् —

(i) संयुक्त सचिव, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग), पदेन, जो अध्यक्ष होगा ;

(ii) वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), पदेन ,

(iii) कोयले का उत्पादन करने वाले संगठनों के तीन प्रतिनिधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे ,

(iv) प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान, कोल इण्डिया अथारिटी लिमिटेड, पदेन;

(v) महा निदेशक, खान सुरक्षा, श्रम मंत्रालय, पदेन;

(vi) निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, पदेन,

(vii) निदेशक केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद, पदेन;

(viii) कोयला नियंत्रक, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग), पदेन;

(ix) यथास्थिति निदेशक या उप सचिव, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग), पदेन, जो सदस्य सचिव भी होगा ।

(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सलाहकार समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) उन सिफारिशों को जो केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान, कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड द्वारा इस विषय में की जाएं, ध्यान में रखते हुए, देश के कोयला नियमों के संरक्षण, विकास और वैज्ञानिक उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के विषय में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(ख) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो निम्नलिखित के लिए किए जाने चाहिए :—

(i) कोयले के स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए,

(ii) कोयला खानों का वैज्ञानिक रीति से विकास करने के लिए,

(iii) कोयले के संरक्षण, कोयला खानों के विकास और कोयले के उपयोग के संबंध में अनुसंधान करने के लिए;

(iv) विभिन्न साधनों द्वारा कोयले के परिवहन और उसके वितरण में सुधार करने के लिए, और

(v) कोयले का बेहतर उपयोग करने के लिए;

(ग) उन वर्गों, श्रेणियों के आकारों की सिफारिश करना जिनमें कोयला या कोक प्रवर्गीकृत किया जाए;

(घ) उन दरों की सिफारिश करना जिन पर कोयले या कोक पर उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया जा सके;

(ङ) कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 की क्रमशः धारा 6 और 7 के अधीन उद्ग्रहीत और संगृहीत उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क के शुद्ध आगमों और धारा 8 के अधीन संगृहीत उत्पाद शुल्क के शुद्ध आगमों के जो आवितरित रह गया है, धारा 9 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए कोयला खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं या प्रबंधकों या किसी अन्य व्यक्ति को संविरण के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(च) केन्द्रीय सरकार को उस रीति के बारे में जिसमें और उन शर्तों के बारे में जिनके अधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन वित्तीय सहायता दी जा सकेगी, सलाह देना;

(छ) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के अधीन दी गई वित्तीय सहायता उन प्रयोजनों के लिए, जिन के लिए वह मंजूर की गई थी, उपयोग में लाई जा रही है या लाई गई है, और साथ ही यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है, उस प्रक्रिया के विषय में, जो परीक्षाएं, जांचे और निरीक्षण करने के लिए अपनाई जानी चाहिए, केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(ज) उस कार्यवाही को जो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध की जानी चाहिए जो अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों का अनुपालन करने में कोई व्यक्ति कम करते हैं, और साथ ही अधिनियम के अधीन मंजूर की गई, संरक्षण और

विकास की स्कीमों और उपायों को कार्यान्वित करने में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना ;

(4) सलाहकार समिति अपनी बैठक तभी करेगी जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने के लिये अपेक्षा की जाये, तथा उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(5) सलाहकार समिति का गठन न किए जाने या उसमें किसी रिक्ति के होने से, धारा 9 के अधीन किसी रकम का संवितरण या कोयला खान संरक्षण और विकास खाते के जमा राशियों में से राशियों का कोई उपयोजन अविधिमान्य नहीं हो जायेगा ।

अध्याय 5

सहायता देना

11. उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमों का अवधारण.—धारा 9 के प्रयोजन के लिये, किसी वित्तीय वर्ष में क्रमशः धारा 6 और 7 के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क के शुद्ध आगमों का अवधारण, शुल्क की संगृहीत कुल रकम दिये गये प्रतिदायों, बट्टे खाते डाली गई रकमों और ऐसे शुल्कों को संग्रहीत करने के खर्चों जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानियत कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात् किया जायेगा ।

12. वे प्रयोजन जिनके लिये शुल्क के शुद्ध आगम संवितरित किये जा सकेंगे.—धारा 9 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये, केन्द्रीय सरकार, सलाहकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम के अधीन संगृहीत उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क मद्धे सरकार के जमा खाते में पड़ी रकम में से कोयला खानों के स्वामियों, एजेंटों अथवा प्रबन्धकों या किसी अन्य व्यक्ति को संवितरण कर सकेगी, और उक्त प्रयोजनों में निम्नलिखित में से एक या अधिक सम्मिलित हो सकेंगे, अर्थात् :—

(1) **संरक्षण और सुरक्षा** :

(i) भरण संक्रियाएं

(ii) सुरक्षा संकर्म जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) अदहनशील पदार्थों से समाच्छादन ;

(ख) किसी अवतल को भरना ;

(ग) खाइयों को काटना ;

(घ) बांधों का सनिर्माण करना ;

(ङ) कृत्रिम रोध ।

(iii) बालू भरण अनावश्यक बना देने वाली विशेष खनन तकनीकें ।

(iv) तल संरक्षण उपाय जिनमें अवतल के क्षेत्रों की इमारतों और संरचनाओं का खाली करना सम्मिलित है ;

(v) भरण संयंत्रों, सम्मिश्रण संयंत्रों और कोयले के परिष्करण के लिये संयंत्रों का संस्थापन ।

(vi) बालू के प्रत्युद्धरण और परिवहन के लिये स्कीमें ।

(2) कोयला खानों का वैज्ञानिक विकास :

(i) नई कोयला खनन पद्धतियों का विकास, विस्फोटकों का विकास और उनका उपयोग ।

(ii) पूर्वक्षण और बरमाने की तकनीकों में सुधार ।

(iii) खानों में विभिन्न भूगर्भीय एवं धरातलीय परिवहन पद्धतियों का तकनीकी आर्थिक अध्ययन ।

(iv) गहरी खानों में चट्टानों के फटने की समस्याओं का अन्वेषण ।

(v) विभिन्न खनन परिस्थितियों में रूफ बोल्टिंग के बारे में अन्वेषण ।

(vi) कोयला खानों और खनन मशीनों के लिये मानकीकृत डिजाइनों का विकास ।

(vii) खनन में उपयोजन के लिये दूरदर्शन तथा अन्य एलक्ट्रानिक साधनों का विकास ।

(3) केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान की स्थापना और संगठन ।

(4) कोयले का उपयोग :

(i) निम्न ताप कार्बनीकरण परियोजनाएं ।

(ii) निर्मित कोक परियोजनाएं ।

(iii) कोयला गसीकरण परियोजना ।

(iv) कोयला को तेल एवं रसायनों में संपरिवर्तन करने के हेतु परियोजनाएं ।

(5) अनुसंधान और विकास :

(i) पाइप लाइनों के माध्यम से कोयले तथा चूरे का परिवहन ।

(ii) परिवहन की अन्य पद्धतियां जिनके अन्तर्गत अन्तर्देशीय जलमार्ग भी हैं ।

(iii) खानों में अपशिष्ट पदार्थों के भरण की उपयुक्तता के बारे में अन्वेषण ।

(iv) खानों में आग लगने की समस्याओं और उनके समाधान के विभिन्न तरीकों की प्रभावकारिता का अन्वेषण ।

(v) खानों में संवातन और अन्य वातावरणिक दशाओं का निर्धारण और उनके स्तरों का विकास ।

(vi) अति-गैसीय कोयला परतों से मैथेन उत्सर्जन और जल विकास से सम्बन्धित समस्याएं ।

(vii) खान की गैसों के मापन और अभिलेखन के लिए उपकरणों का विकास ।

(viii) खनन क्षेत्रों में धरातल प्रदूषण और वातावरण नियंत्रण पर अनुसंधान ।

(6) सलाहकार समिति के कार्य के सम्बन्ध में खर्चे की पूर्ति ।

13 सहायता के लिए आवेदन.—किसी कोयला खान या कोयला खान समूह का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक या अधिनियम के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति अपनी प्रस्थापनाएं केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

14. **सहायता की मात्रा.**—केन्द्रीय सरकार द्वारा, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, सहायता दी जाएगी ।

15. **सहायता की मंजूरी से संबंधित शर्तों का प्रतिग्रहण.**—इस नियमों के अधीन सहायता मंजूर करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार, किसी कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे सहायता दी जाने की प्रस्थापना है, अनुपालन की जाने वाली शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी और कोयला खान के ऐसे स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी शर्तों का लिखित रूप में प्रतिग्रहण किया जाना सुनिश्चित करेगी ।

16. **लेखाएं रखना.**—(1) किसी कोयला खान या कोयला खान-समूह का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे धारा 9 के अधीन धन संवितरित किया जाता है, खाते की बाबत प्राप्तियों और संदायों का एक विवरण रखेगा या रखवाएगा ।

(2) ऐसा विवरण धारा 10 की उपधारा (3) में यथा उपबन्धित रीति में परीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा ।

17. **वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना.**—प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 9 के अधीन कोई धन संवितरित किया गया है, केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष 30 सितम्बर तक, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा प्राप्त सहायता के उपयोजन से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट, लेखाओं की बाबत संपरीक्षक की रिपोर्ट सहित, प्राप्तियों तथा संदायों के विवरण के साथ प्रस्तुत करेगा ।

18. **जानकारी और निरीक्षण के बारे में कर्तव्य.**—(1) किसी कोयला खान का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसने अधिनियम के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त की है, अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार, कोयला नियंत्रक या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को तुरन्त ऐसी जानकारी, रेखांक और रेखाचित्र प्रस्तुत करेगा जिनकी केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षा करे ।

(2) किसी कोयला खान का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसने अधिनियम के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त की है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, कोयला नियंत्रक, या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, कोयला खान और सहायता के उपयोजन सम्बन्धी अभिलेखों के निरीक्षण के लिए ऐसी सभी युक्तियुक्त सुविधाएं देगा जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

अध्याय ६

प्रकीर्ण

19. उल्लंघनों के लिए शास्ति.—इन नियमों का कोई उल्लंघन, कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

20. निरसन.—कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम, 1954 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

प्रारूप 'क'

[नियम 8 (4) देखिए]

रजिस्टर का प्रारूप जिसमें प्रेषित कोयला और कोक, प्रभारित कीमत और उत्पाद-शुल्क दर्शित हैं ।

कोयला खान का नाम — स्वामी

पूरा पता — मास — वर्ष

परेषिती का नाम	गन्तव्य स्थान	प्रेषण की तारीख	कोयले की श्रेणी और आकार	प्रेषित परिमाण और गर्तमुख कीमत	प्रति मीटरी टन उत्पाद-शुल्क	संगृहीत उत्पाद-शुल्क की राशि	खजाने में विप्रेषण की तारीख	खजाना जिसमें संदत्त किया गया और चालान संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान :

तारीख

स्वामी / अभिकर्त्ता / प्रबन्धक के

हस्ताक्षर और मुद्रा

प्रारूप 'ख'

[नियम 8 (7) देखिए]

कोयला और कोक के प्रेषणों पर वसूल किए गए उत्पाद-शुल्क की विवरणी का प्रारूप

कोयला खान का नाम स्वामी

पूरा पता मास वर्ष

मास के दौरान प्रेषित कोयला कोक का परिमाण			प्रति मीटरी टन कीमत	गर्तमुख कुल प्रभार्य कीमत	प्रति मीटरी टन उत्पाद-शुल्क की दर	संदेय कुल उत्पाद-शुल्क	वस्तुतः वसूल किया गया उत्पाद-शुल्क	खजाने में संदत्त राशि	टिप्पण	
श्रेणी	आकार	परिमाण								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वासानुसार सही है और मेरी कोलियरी में रखे गए अभिलेखों पर आधारित हैं।

स्थान:.....

तारीख :.....

स्वामी / अभिकर्त्ता / प्रबन्धक
के हस्ताक्षर और मुद्रा

[सं०-55019/8/75-सी० पी० सी०

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975